

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, 1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 1999

विषय : पट्टागत नजूल भूमि के फ्री-होल्ड क सम्बन्ध में सड़क विस्तार से प्रभावित भूमि तथा कृषि एवं बागवानी प्रयोजनार्थ पट्टो के विषय में स्पष्टीकरण।

महोदय,

आप अवगत है कि जिस पट्टागत भूखण्डों का कुछ अंश महायोजना में सड़क विस्तार से प्रभावित हैं उनके सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-2268/9-आ-3-98-704एन/97, दिनांक 1.12.98 के प्रस्तर-3 के अनुसार नीति निर्धारित की गयी है। शासन के संज्ञान में उक्त व्यवस्था से आच्छादित कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें पट्टागत भूमि का अंश भाग सड़क विस्तार से प्रभावित है, परन्तु प्रभावित भू-भाग पर पट्टेदार/पूर्व पट्टेदार का पक्का निर्माण है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि ऐसे मामलों में सड़क विस्तार से प्रभावित भूमि पर सम्बन्धित पक्ष का यदि पक्का निर्माण है तो उस प्रभावित भू-भाग का कब्जा प्राप्त करने के बजाय फ्री-होल्ड की कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित पक्ष से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि भविष्य में जब भी सड़क विस्तार की आवश्यकता होगी तो वह सम्बन्धित भू-भाग का कब्जा शान्तिपूर्वक शासन को दे देगा। सड़क विस्तार से सम्बन्धित ऐसी पट्टागत भूमि जिस पर निर्माण नहीं है और उसका कब्जा प्राप्त करने में कठिनाई नहीं है तो उस पर कब्जा प्राप्त कर जिस भी विभाग की सड़क है उसे इस भू-भाग का कब्जा अवश्य प्राप्त करा दिया जाये जिससे कि भविष्य में इस भू-भाग पर अवैध कब्जा न हो सके।

कतिपय स्रोतों से शासन में यह जिज्ञासायें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें पट्टा कृषि, बागवानी, प्रयोजन हेतु दिया गया था, क्या वह इस भूमि को वर्तमान नीति के तहत फ्री-होल्ड करा सकते हैं। इस सन्दर्भ में मुझे यह स्पष्ट करना है कि कृषि एवं बागवानी की पट्टागत नजूल भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 1.12.98 में निहित व्यवस्थानुसार महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार की जाय परन्तु जहाँ महायोजना नहीं है वहाँ फ्री-होल्ड की कार्यवाही पट्टे में अंकित भू-उपयोग (कृषि/बागवानी) जो अनावासीय श्रेणी के अन्तर्गत आता है, के अनुसार की जायेगी।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-367(1)/9-आ-4-99 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2). प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/सचिव, नगर विकास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
- (3). समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (4). मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (5). समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव